

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2014/आषाढ़ 23, 1936

No. 177]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2014/ASHADHA 23, 1936

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 30 मई, 2014

फा. सं. 14(2)/2014-सां. प.—केंद्रीय सरकार, संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि 26 मई, 2014 को संघ की मंत्रि परिषद में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उस तारीख से श्री अरुण जेटली राज्य सभा में विपक्षी नेता नहीं रह गए हैं।

अफज़ल अमानुल्ला, सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 May, 2014

No. F. 14(2)/2014-ME.—In pursuance of the powers conferred by Section 9 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (No.33 of 1977), the Central Government hereby notify that consequent on his induction in the Union Council of Ministers on 26th May, 2014, Shri Arun Jaitley has ceased to be the Leader of Opposition in the Council of States with effect from that date.

AFZAL AMANULLAH, Secy.